प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित किया गया : 21.02.2025

निर्णय पारित किया गया : 09.05.2025

दाण्डिक पुनरीक्षण सं 625/2020

तीर्थराज अग्रवाल पिता श्री आर. बी. अग्रवाल, 40 वर्ष , निवासी तपकरा जशपुर, जिला जशपुर छत्तीसगढ़

---आवेदक

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी के द्वारा पुलिस थाना पुसौड़, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक हेतु :--श्री राजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता,श्री संदीप सिंह और श्री दानिश सिद्दीकी, अधिवक्तागण

उत्तरवादी/राज्य हेतु :--सुश्री प्रज्ञा श्रीवास्तव, उप शासकिय अधिवक्ता

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश

सी. ए. वी. निर्णय

सुना गया है।

1. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़, छत्तीसगढ़ द्वारा आवेदक के विरुद्ध दिनांक 13/01/2016 को पारित आरोप-पत्र के विरुद्ध वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है और आवेदक के विरुद्ध भा.दं. सं. की धारा 420, 467, 468, 471 सहपठित धारा 120-बी, 34, 506-बी के तहत दंडनीय कथित अपराध को कारित करने के लिए परिणामी आरोप पत्र दायर किया गया है।

2. इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवेदक 6 मार्च, 2013 से 2 अगस्त, 2014 तक रायगढ़ में डिप्टी कलेक्टर सह अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के पद पर पदस्थ था। उस अवधि के दौरान, वह राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए एक पदाभिहित अधिकारी के रूप में भी काम कर रहा था। पुसौर तहसील में झिलगिटार नाम का एक गाँव है।उक्त गांव की जमीन का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (संक्षेप में एनटीपीसी) की एक परियोजना के लिए अधिग्रहण के अधीन था (वर्तमान में अधिग्रहण किया गया है) और 160 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के अधीन थी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में तथा अंत में पक्षों को सुनने के पश्चात् 05/10/2012 पर प्रकाशित की गई थी।भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5–ए के तहत राज्य की अधिसूचना संख्या 7–13/सात–3/2010 दिनांक 17/08/2010 के अनुसार वर्तमान आवेदक द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिकारी के रूप में 11/11/2013 को पंचाट पारित किया गया था, पंचाट को राजस्व आयुक्त/सचिव, राजस्व विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, जैसा भी मामला हो, जहां पंचाट के तहत भुगतान किया जाने वाला क्षतिपूर्ति किसी कंपनी की परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपये है या अन्य मामलों में जब यह सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अन्य अधिग्रहण के मामले में 3 करोड़ रुपये से अधिक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. पंचाट पारित होने के पश्चात आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 07/10/2013 के अनुमोदन के माध्यम से इसे अनुमोदित किया गया। भू–विस्थापितों को वितरित किए जाने वाले क्षतिपूर्ति की राशि को अनुमोदित करने के पश्चात उसे राज्य प्राधिकारियों द्वारा संबंधित कोषागार में स्थानांतरित कर दिया गया, ताकि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू–अर्जन अधिकारी के अधिकारी द्वारा चेक के माध्यम से आगे भुगतान किया जा सके।17.04.2014 को एक आवेदक गिरधारी अग्रवाल वर्तमान आवेदक के समक्ष एक आवेदन लेकर उपस्थित हुआ, जिसमें उसने तर्क दिया कि उसे परिवार के सदस्यों के बीच भूमि के बंटवारे में कुछ विवाद की आशंका है और विवादों की आशंका के कारण वह मुआवजे की राशि 7 लाख रुपये वापस करना चाहता है और इस आशय से उसने 7,00,833 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट की प्रति के साथ आवेदन प्रस्तुत किया।आवेदक ने आवेदन पत्र और डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त कर लिए, जिन्हें उसके क्लर्क को सौंप दिया गया, इस टिप्पणी के साथ कि उक्त डिमांड ड्राफ्ट को बैंक में जमा करा दिया जाए।तत्पश्चात, कलेक्टर रायगढ़ को कुछ गुमनाम शिकायत की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ उल्लेख किया गया है कि ग्राम झिलगिटार में खसरा क्रमांक 16/190 से 16/197 तक कुल 5 या 6 नए खाते बैंक में खोले गए हैं और जो चेक एसडीएम कार्यालय द्वारा 9/12/2013 को जारी किए गए हैं, उक्त चेक बैंक से निकाल लिए गए हैं, जिन्हें नए बैंक खाते में जमा किया गया था, इस झूठी गवाही की उपरोक्त परिवाद के आधार पर जांच की जानी है। उक्त परिवाद के आधार पर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है (1) संयुक्त कलेक्टर, रायगढ़ (2) अधीक्षक भू–अभिलेख, रायगढ़ (3) राजस्व निरीक्षक, कार्यभार, रायगढ़।उक्त परिवाद पर उप पंजीयक, रायगढ़ ने ग्राम झिलगिटार खसरा 16/16 रकबा 2.217 हेक्टेयर एवं 16/2 रकबा 0.817 हेक्टेयर कुल रकबा 3.034 हेक्टेयर भूमि का विक्रय विलेख उपलब्ध कराया है, जिसमें उक्त भूमि राकेश कुमार गोयल द्वारा उप्पल पाल सिंह से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 27.04.2004 एवं 14.05.2012 के माध्यम से क्रय की गई है।

4. अभियोजन की स्वीकृति आवेदक एवं संजय सोमावार तत्कालीन तहसीलदार (पुससोर) रायगढ़ के संबंध में अभियोजन की संयुक्त स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि, सर्वप्रथम राकेश गोयल से खाता विभाग (लेखा प्रभाग) 7 विभिन्न नामों से प्रस्ताव क्रमांक 119 दिनांक 26/12/2012 द्वारा ग्राम पंचायत नामांतरण क्रमांक 900 वर्ष 2011–12 द्वारा किया गया है तथा उक्त प्रविष्टि नामांतरण पंजी में पटवारी केशव प्रसाद राठिया द्वारा की गई है, उक्त नामांतरण पंजी में सरपंच ग्राम पंचायत कठनी राज कुमार गुप्ता, सचिव सुभागिया की मुहर एवं हस्ताक्षर थे, परंतु खातेदार के हस्ताक्षर नहीं थे, अर्थात उक्त विभाग अवैधानिक तरीके से किया गया है, केशव प्रसाद राठिया द्वारा किसान किताब तैयार की गई है, जिसमें सभी सात व्यक्तियों की प्रविष्टि दर्शाई गई है परंतु जाति अंकित नहीं की गई है। किसान किताब में लगाए गए फोटो पर एस.के.सोमावार, वर्तमान तहसीलदार, पुसौर के हस्ताक्षर तथा पटवारी केशव प्रसाद राठिया के हस्ताक्षर हैं, केशव प्रसाद राठिया की मुहर भी है, लेकिन उसे तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया जाना है, जो नहीं किया गया है।जांच के बाद पता चला कि फोटो वास्तविक खातेदार के नहीं हैं, बल्कि इससे पता चलता है कि पटवारी केशव प्रसाद राठिया, तत्कालीन तहसीलदार संजय सोमावार और ग्राम पंचायत कुठारी के सरपंच द्वारा षड़यंत्र किया गया है।दूसरा, यह उल्लेख किया गया है कि भू–अर्जन अधिकार, रायगढ़ (यहां आवेदक) ने सात व्यक्तियों के नाम पर चेक जारी किया है और इन सातों व्यक्तियों ने जाति छिपाकर गुप्ता, सिदार और चौहान के रूप में अपनी जाति दर्शाकर यूको बैंक के बैंक मैनेजर से सांठगांठ कर फर्जी खाता खोलकर राशि निकाल ली है। कलेक्टर (भू अभिलेख रायगढ़) के प्रतिवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाने पर अपराध क्रमांक 79/14 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।तीसरा, जांच एवं निष्कर्ष के अनुसार यह पता चला है कि राकेश कुमार गोयल ने पटवारी केशव प्रसाद राठिया के साथ मिलकर जयश्री, आकाश, सोनिया सोनल, चंचल चांदनी, गिरधारी के नाम से बटवारानामा तैयार किया है, जिसमें दिनांक 26/12/12 को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के माध्यम से पंचनामा तैयार किया गया है, फर्जी बंटवारा किया गया है तथा पटवारी केशव प्रसाद राठिया द्वारा ऋण पुस्तिका तैयार कर तहसीलदार संजय सोमावार द्वारा प्रमाणित किया गया है, यह बात सामने आई है कि तहसीलदार ने तथ्यों की जांच किए बिना ऋण पुस्तिका प्रमाणित कर दी, यह भलीभांति जानते हुए भी कि भूमि एनटीपीसी परियोजना द्वारा अधिग्रहित की जानी है, फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमिस्वामी को संशोधित किए बिना प्रस्ताव भूअर्जन अधिकारी को दिया गया है, यह झूठ संबंधित सरपंच, सचिव, पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा केवल एनटीपीसी से प्रत्येक खातेदार को क्षतिपूर्ति का लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है।चौथा, आवेदक के विरुद्ध एकमात्र आरोप यह है कि आवेदक ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी होने के नाते राकेश कुमार गोयल की भूमि के सह खातेदार की प्रमाणिकता की जांच किए बिना तथा बिना जांच किए ही चेक 09.12.2013 को एक व्यक्ति को सौंप दिए तथा इन सह हिस्सेदारों ने फर्जी बैंक खाता खोलकर धनराशि का वितरण करवा लिया तथा परिवाद के बाद लाभार्थियों ने डिमांड ड्राफ्ट तैयार करके भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पास वापस जमा करवा दिया। भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने चेक जारी करते समय न तो चेक प्राप्तकर्ता की प्रमाणिकता की जांच की और न ही डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त करते समय जमाकर्ता की प्रमाणिकता की, जहां आवेदक ने राकेश कुमार गोयल के साथ मिलीभगत करके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कार्यवाही शुरू कर दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि एफआईआर में इस बात का ज़रा भी उल्लेख नहीं है कि पूरी अन्वेषण में आवेदक की कोई संलिप्तता है, आवेदक के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है और आश्चर्यजनक रूप से उसका नाम आरोप पत्र में शामिल है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह उल्लेख करना सबसे विशेष है कि आवेदक ने स्वयं संबंधित तहसीलदार (पुसौर) को दिनांक 09.05.2014 के पत्र के माध्यम से निर्देशित किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ उल्लेख किया गया था कि कलेक्टर (भूमि अभिलेख) रायगढ़ के कार्यालय की रिपोर्ट के संबंध में दिनांक 06.05.2014 को एनटीपीसी, लारा परियोजना ग्राम–झिलगिटार के लिए एक झूठा बैंक खाता खोला गया है और मुआवजे की राशि उक्त फर्जी खाते में जमा की गई है, इसलिए उन्होंने निर्देश दिया है कि तहसीलदार एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही करेंगे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक द्वारा किए गए प्रयासों के कारण एफआईआर दर्ज की गई है और बाद में बिना किसी कारण के आवेदक का नाम आरोप पत्र में शामिल किया गया है।अन्यथा भी, सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ और राज्य के एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ, वास्तव में मुआवजा प्राप्त करने के बाद जो राशि जमा की गई थी, रिसीवर के नाम में परिवर्तन लाभार्थियों द्वारा किया गया था और आवेदक इसके लिए विदेशी था। आवेदक ने विधि की उचित प्रक्रिया के बाद उस व्यक्ति को भूमि का मालिक बताते हुए और राजस्व अभिलेख में दर्ज नाम के अनुसार राशि वितरित की है। इसके बाद जो भी किया गया है, आवेदक उसके लिए विदेशी है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक भूमि अधिग्रहण अधिकारी होने के नाते सी.जी. भूमि राजस्व संहिता, 1959 और "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" के अनुसार काम करता है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि सभी झूठे वादे या तो लाभार्थियों द्वारा अपना उपनाम बदलकर और यूको बैंक, रायगढ़ में खाता खोलकर किए गए हैं या फिर उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वितरित की गई राशि को लाभार्थियों द्वारा पहले ही वापस कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. वह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **बलराम एवं अन्य बनाम अश्विनी कुमार यादव एवं अन्य (सीआरआर संख्या 1423/1999)** के मामले में निर्धारित विधि, इस न्यायालय द्वारा पी.के. गुप्ता बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य (सीआरएमपी संख्या 366/2015), **आर.ए. खंडेलवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य (एम.सीआर.सी. संख्या 1029/2004) में** निर्धारित कानून और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए**स.पी. गोयल बनाम कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, दिल्ली (सिविल अपील संख्या 11603/1995) और राधेश्याम केजरीवाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य** के मामलों में निर्धारित विधि पर भरोसा करता है । {(2011) 3 एससीसी 581} और प्रस्तुत करते है कि आवेदक भी सुस्थापित विधिक प्रस्तावों और जेएमएफसी, रायगढ़, सी.जी. द्वारा पारित दिनांक 13/01/2016 के आरोप निर्धारण आदेश के मद्देनजर आपराधिक कार्यवाही से अनुतोष के हकदार हैं और इसके अलावा भा.दं. सं. की धारा 420, 467, 468, 471 के साथ धारा 120 बी, 34, 506 बी के तहत अपराधों के लिए अपराध संख्या 79/14 में दिनांक 02/12/2014 को आक्षेपित आरोप–पत्र को खारिज/अपास्त किया जाना चाहिए।

7. इसके विपरीत, विद्वान राज्य अधिवक्ता आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का विरोध करते हैं तथा प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक के तर्क को केवल साक्षीयों की जांच करने तथा विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को दर्ज करने के पश्चात ही प्रभावी रूप से समझा जा सकता है।इसके बाद वे यह तर्क देंगी कि आरोप–पत्र को निरस्त करने के लिए वर्तमान आरोप–पत्र में उपलब्ध सामग्री तथा साक्ष्यों की स्वतंत्र रूप से जांच की जानी चाहिए तथा आरोप–पत्र में प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है, इसलिए आरोप–पत्र को निरस्त नहीं किया जा सकता है।अंत में वे यह तर्क देंती है कि आरोप–पत्र को निर्धारित करने के लिए विचारण न्यायालय का आदेश न्यायसंगत तथा उचित है तथा वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण गुण–दोष से रहित है, अतः इसे खारिज किया जाना चाहिए।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता हेतु सुना है तथा ऊपर दिए गए उनके प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है तथा अभिलेख हेतु भी अत्यंत सावधानी के साथ देखा है।

9. दस्तावेजों अर्थात एफआईआर, साक्षीयों के बयान और अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से एफआईआर या बयान में याचिकाकर्ता के नाम का कोई उल्लेख नहीं है। एफआईआर अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, न कि वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ और यह केवल अभियोजन स्वीकृति आदेश में उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने राकेश कुमार गोयल नामक व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाने के आशय से जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर आपराधिक षड़यंत्र रची।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इस न्यायालय ने दिनांक 12/03/2021 के आदेश द्वारा आवेदक के पक्ष में अंतरिम अनुतोष प्रदान की है, हालाँकि, अचानक आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।

11. इसके अलावा, विवाद को पूरी तरह से समझने के लिए, राजस्व अधिकारी की स्थिति से संबंधित संहिता और 1985 के अधिनियम में निहित प्रावधानों पर गौर करना उचित होगा।

12. संहिता की धारा 11 राजस्व अधिकारियों की श्रेणियों को परिभाषित करती है, जो इस प्रकार है:––

“11. राजस्व अधिकारी--

राजस्व अधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात्: आयुक्त (अतिरिक्त आयुक्तों सहित); बंदोबस्त आयुक्त (अतिरिक्त बंदोबस्त आयुक्तों सहित); समाहर्ता (अतिरिक्त समाहर्ता सहित); बंदोबस्त अधिकारी; अनुविभागीय अधिकारी; सहायक समाहर्ता; संयुक्त समाहर्ता (उप समाहर्ता सहित); उप बंदोबस्त अधिकारी; सहायक बंदोबस्त अधिकारी; तहसीलदार (अतिरिक्त तहसीलदारों सहित); भूमि अभिलेख अधीक्षक; नायब तहसीलदार; भूमि अभिलेख सहायक अधीक्षक।"

13. संहिता की धारा 31 के द्वारा राजस्व न्यायालय को न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है तथा राजस्व अधिकारी धारा 31 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व न्यायालय होगा।संहिता की धारा 31 में निम्नलिखित उल्लेख है:---

"31. बोर्ड और राजस्व अधिकारियों को न्यायालय का दर्जा प्रदान किया जाना।राजस्व अधिकारी का बोर्ड, राज्य सरकार और किसी व्यक्ति के बीच या किसी कार्यवाही के पक्षकारों के बीच निर्धारण के लिए उठने वाले

किसी प्रश्न की जांच करने या निर्णय करने के लिए इस संहिता या किसी अन्य प्रवृत्त अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए, राजस्व न्यायालय होगा।"

14. संहिता की धारा 44 (1) में अपील तथा अपीलीय प्राधिकरणों का प्रावधान है जो निम्नानुसार कहते हैं:---

"44. अपील तथा अपीलीय प्राधिकरण।(1) जहाँ अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया है उसके सिवाय, इस संहिता या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रत्येक मूल आदेश के विरुद्ध अपील निम्नलिखित के विरुद्ध होगी:

(क) यदि ऐसा आदेश उपमंडल अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, चाहे आदेश पारित करने वाले अधिकारी को कलेक्टर की शक्तियाँ प्राप्त हों या नहीं;

(ख) यदि ऐसा आदेश उपमंडल अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, चाहे कलेक्टर को कलेक्टर की शक्तियाँ प्राप्त हों या नहीं;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ग) यदि ऐसा आदेश बंदोबस्त अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा बंदोबस्त अधिकारी को पारित किया जाता है;

(घ) यदि ऐसा आदेश राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है जिसके संबंध में धारा 12 की उपधारा (3) या धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे राजस्व अधिकारी को निर्देश जारी किया गया है जिसे राज्य सरकार निर्देशित करे;

(ङ) यदि ऐसा आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया जाता है, चाहे वह कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, तो बंदोबस्त की अवधि के दौरान आयुक्त को;

(च) यदि ऐसा आदेश किसी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, चाहे वह बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या किसी बंदोबस्त कार्रवाई के संबंध में समाहर्ता की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, जब तक कि बंदोबस्त आयुक्त को अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो;

(छ) यदि ऐसा आदेश आयुक्त या बंदोबस्त आयुक्त द्वारा बोर्ड को पारित किया जाता है।"

15. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उप-विभागीय अधिकारी (राजस्व) संहिता की धारा 11 के अर्थ में राजस्व अधिकारी है और इस संहिता या किसी अन्य अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पक्षकारों के बीच विवादों का निराकरण करते समय, उसे "राजस्व न्यायालय" का दर्जा प्राप्त होगा और राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश, जिसमें तहसीलदार का आदेश भी शामिल है, संहिता की धारा 44(1) के तहत न्यायिक रूप से अपील योग्य होगा।

16. न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 न्यायिक अधिकारियों को अधिनियम 1850 की धारा 1 के तहत सद्भावनापूर्वक किए गए आधिकारिक कार्यों या पारित आदेशों के लिए किसी भी सिविल न्यायालय में वाद दायर किए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है, न केवल एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या शांति के न्यायाधीश, एक कलेक्टर या न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति को भी ऐसी सिविल कार्यवाही के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है।

17. **एस.पी.गोयल बनाम कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, दिल्ली {(1996) 2 एससीसी 573} के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारी (संरक्षण) अधिनियम, 1850** की धारा 1 के प्रावधानों पर विचार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया : ---

"35. इस धारा में न्यायाधीशों की उन्मुक्ति का सामान्य विधि नियम शामिल है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि न्यायिक पद धारण करने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ करने की स्थिति में होना चाहिए और, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके मन में परिणामों का भय नहीं होना चाहिए। इस अधिनियम का दायरा और उद्देश्य इस न्यायालय द्वारा पहले ही अनवर हुसैन बनाम अजय कुमार मुखर्जी में स्पष्ट किया जा चुका है जिसमें तेयेन बनाम राम लाल के पुराने निर्णय को मंजूरी दी गई थी। न्यायाधीशों (संरक्षण) अधिनियम, 1985 के अधिनियमन द्वारा न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों की स्थिति को और अधिक सुरक्षित बना दिया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. 1985 के अधिनियम की धारा 1 के तहत, न केवल न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या शांति के न्यायाधीश, बल्कि एक कलेक्टर या न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति को भी ऐसी सिविल कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण दिया जाता है।न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 एक कदम आगे जाता है और न्यायाधीशों को उनके द्वारा अपने आधिकारिक या न्यायिक कर्तव्य या कार्य के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने का आशय रखते हुए किए गए किसी भी कार्य, बात या शब्द के लिए उनके खिलाफ किसी भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।

19. 1985 के अधिनियम की धारा 2 (ए) न्यायाधीश के अर्थ को निम्नानुसार परिभाषित करती है: **"2. परिभाषा।इस अधिनियम में, "न्यायाधीश" का अर्थ न केवल प्रत्येक व्यक्ति है जिसे आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति भी है (ए) जो किसी भी कानूनी कार्यवाही में एक निश्चित निर्णय देने के लिए कानून द्वारा सशक्त है, या ऐसा निर्णय जो, यदि अपील नहीं किया जाता है, तो निश्चित होगा, या ऐसा निर्णय जो, यदि किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की जाती है, तो निश्चित होगा, या**

(ख) XXX XXX।"

न्यायाधीश की उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे किसी कार्यवाही में निर्णय देने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित किया जाता है, वह न्यायाधीश है, भले ही उसे आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया हो।

20. **एस.पी. गोयल (सुप्रा)** में, उनके आधिपत्य ने माना है कि 1850 के अधिनियम के प्रावधान स्टाम्प कलेक्टर के लिए भी उपलब्ध होंगे क्योंकि 1850 के अधिनियम में न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों और शांति के न्यायधीशों के साथ कलेक्टर का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

21. इस प्रकार, यह अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि किसी न्यायाधीश के विरुद्ध उसके द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में कही गई या की गई किसी भी बात के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उसके द्वारा बोले गए शब्द पूर्ण विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित हैं। लॉर्ड टेंटक्रडन सी.जे. ने गेमेट बनाम फेरैंड (1827) 6 बी और सी 611 में इसे अच्छी तरह से कहा है:---

"किसी व्यक्ति के वाद मे कार्यवाही और प्रश्न से यह स्वतंत्रता कानून द्वारा न्यायाधीशों को दी गई है, न कि उनके अपने हित के लिए, बल्कि जनता के हित के लिए, और न्याय की उन्नति के लिए, ताकि कार्रवाई से मुक्त होने के कारण वे विचार में स्वतंत्र और निर्णय में स्वतंत्र हो सकें, जैसा कि न्याय करने वाले सभी लोगों को होना चाहिए।" (लॉर्ड डेनिंग द्वारा "द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ" से अंश)" इस प्रकार, विधि का यह कथन 1850 के अधिनियम और 1985 के अधिनियम के तहत प्रदान किए गए सभी रैंक (उच्च या निम्न) के न्यायाधीशों पर लागू होगा। 22. 1985 के अधिनियम की धारा 2 (ए) न्यायाधीश का अर्थ परिभाषित करती है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"2. परिभाषा:

इस अधिनियम में, "न्यायाधीश" का अर्थ न केवल प्रत्येक व्यक्ति है जिसे आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति भी है (ए) जो किसी भी कानूनी कार्यवाही में एक निश्चित निर्णय देने के लिए कानून द्वारा सशक्त है, या ऐसा निर्णय जो, यदि अपील नहीं किया जाता है, तो निश्चित होगा, या ऐसा निर्णय जो, यदि किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की जाती है, तो निश्चित होगा, या

(ख) XXX XXX।"

23. 1985 के अधिनियम की धारा 3 में निम्नलिखित प्रावधान है:

3. न्यायाधीशों को अतिरिक्त संरक्षण।

(1) वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद और उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन, कोई भी न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई सिविल या आपराधिक कार्यवाही नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा जो न्यायाधीश है या था, उसके द्वारा अपने आधिकारिक या न्यायिक कर्तव्य या कार्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किए गए किसी कार्य, बात या शब्द के लिए।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी भी प्रकार से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी की किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो न्यायाधीश है या

था, ऐसी कार्रवाई करने की शक्ति पर रोक नहीं लगाएगी या उस पर प्रभाव नहीं डालेगी जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन है।"24. 1985 के अधिनियम की धारा 4 निम्नानुसार प्रदान करती हैः

4. व्यावृत्ति:

इस अधिनियम का प्रावधान न्यायाधीशों के संरक्षण के लिए वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होगा, न कि उनके अल्पीकरण में।"

25. 1985 के अधिनियम की धारा 4 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संहिता के प्रावधान न्यायाधीशों की सुरक्षा प्रदान करने वाले किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त हैं, न कि उनके प्रतिकूल।

26. वर्तमान मामले में, 1985 के अधिनियम की धारा 2 की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को राजस्व कार्यवाही में निर्णय देने या पुरस्कार पारित करने का अधिकार है।

27. अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता 1985 के अधिनियम की धारा 3 के तहत संरक्षण का हकदार है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम उपेंद्र सिंह {(1994)3 एससीसी 257} में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक अधिकारी भी न्यायिक या अर्ध–न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय, कर्तव्य निर्वहन में अपने आचरण के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है।

29. **जुंजाराव भीकाजी नागरकर बनाम भारत संघ और अन्य {(1999) 7 एससीसी 409}** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अर्ध–न्यायिक न्यायनिर्णयन में राजस्व अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र का गलत इस्तेमाल किया है तो उस गलती को अपील में सुधारा जा सकता है। यह सदैव किसी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का आधार नहीं बन सकता है, जबकि वह अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी होने के नाते, वह हमेशा अपील में न्यायिक पर्यवेक्षण के अधीन होता है।इस न्यायालय की खंडपीठ ने मामले आर.ए. खंडेलवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य (एम.सी.आर.सी.सं.1209/2004) 1 अगस्त, 2005 को निर्धारित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था, जिन्होंने मध्य प्रदेश (कृषि जोत की अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1960 के तहत सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए उस क्षमता में कुछ आदेश पारित किए थे, उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) और 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 467 और 468 के तहत अपराधों के लिए वाद चलाया गया था और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया गया था:

"19. न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 की धारा 1, अधिनियम, 1985 की धारा 3(2) और अधिकतम परिसीमा अधिनियम, 1960 की धारा 45 और 48 न्यायिक कार्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ

सिविल/आपराधिक कार्यवाही से पूर्ण प्रतिबंध प्रदान नहीं करती हैं, सिवाय इसके कि सद्भावनापूर्वक किया गया या किया जाने का आशय है।केंद्र सरकार या राज्य सरकार या भारत का सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या किसी भी कानून के तहत कोई अन्य प्राधिकरण जो सक्षम है, किसी व्यक्ति के खिलाफ सिविल, आपराधिक या विभागीय या अन्यथा कार्यवाही कर सकता है, जिसने अपनी न्यायिक/अर्ध–न्यायिक कार्यवाही के दौरान कोई कार्य किया है।अधिनियम 1850 और अधिनियम 1985 के प्रावधान और सीलिंग अधिनियम के प्रावधान किसी निजी पक्ष या जनता के सदस्य के कहने पर अपनी न्यायिक/अर्ध–न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकारियों के अनावश्यक उत्पीड़न और तुच्छ अभियोजन को रोकने के लिए हैं।"

31. इसी प्रकार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने **बलराम एवं अन्य बनाम अश्विनी कुमार यादव एवं अन्य {2001 (3) एमपीएलजे 363}** के मामले में माना है कि याचिकाकर्ता नायब तहसीलदार/राजस्व अधिकारी, जिसे संहिता/अन्य अधिनियम के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राजस्व न्यायालय का दर्जा दिया गया है, वह अर्ध–न्यायिक क्षमता में पारित एक आदेश के लिए 1985 के अधिनियम की धारा 3 के तहत संरक्षण का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन एजेंसी को न्यायाधीश द्वारा न्यायिक या अर्ध न्यायिक पक्ष में पारित निर्णयों या आदेशों में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हो सकता है कि उसने गलती की हो या बहुत बड़ी गलती की हो, फिर भी उसने न्यायिक रूप से काम किया हो और इसके लिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यदि कोई गलती हुई है, तो उसे अपील में सुधारा जा सकता है। यह सदैव आपराधिक अभियोजन शुरू करने का आधार नहीं बन सकता है।

33. अब उपरोक्त स्थापित कानूनी स्थिति के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के रूप में कार्य करते हुए पक्षों की सुनवाई के बाद 11/11/2013 को एक पंचाट पारित किया। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त सचिव ने 20/11/2024 को एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन और उत्तरों पर जांच करने और उचित विचार करने के बाद, विभाग द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच को बंद करने का निर्णय लिया गया है (नस्तिबद्ध)। 20/11/2024 के आदेश का सुसंगत हिस्सा नीचे उद्धृत है:––

नया रायपुर अटलं नगर

//आदेश//

नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 नवंबर, 2024

क्रमांकः बी–3–19/2014/एक/4: राज्य शासन द्वारा श्री तीर्थराज अग्रवाल (रा.प्र.से.. आर.आर.–08, परिष्ठ श्रेणी) संयुक्त कलेक्टर को तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के पद पर पदस्थापना के दौरान की गई अनियमितताओं के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1986 के नियम ७ के उप नियम– (1) (क) के अनुसरण विभागीय आदेश दिनांक 02.08.2014 द्वारा निलंबित किया गया एवं उनके विरूद्ध विभागीय जांच संरिधत कर दिनांक 04.10.2014 को आरोप पत्र जारी किया गया था।

2/आरोप पत्र के संबंध में श्री अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर दिनांक 17.11.2014 समाधानकारक नहीं पाये जाने से, राज्य शासन एतद्वारा आरोपों की विस्तृत जांच हेतु, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम–14(5) (ख) के अंतर्गत अपर आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को जांचकर्ता अधिकारी तथा नियम–14 (5) (ग) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया।

3/श्री अग्रवाल के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में समय लगने की संभावना को देखते हुए विचारोपरांत उन्हें आदेश दिनांक 05.05.2016 द्वारा निलंबन से बहाल किया गया।

4/ जांघकर्ता अधिकारी द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 20.05.2020 पर अपचारी अधिकारी श्री अग्रवाल से प्रतिउत्तर प्राप्त किया गया एवं समक्ष में सुनवाई किया गया।

5/ श्री अग्रवाल से प्राप्त अभ्यावेदन एवं समक्ष में सुनवाई उपरांत जांच प्रतिवेदन दिनांक 20.05.2020 पर शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत श्री तीर्थराज अग्रवाल (रा.प्र.से.) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जाचं प्रकरण को नस्तीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है।

6/ अतएव 'राज्य' शासन एतद्वारा श्री तीर्थराज अग्रवाल (रा.प्र.से.) के विरूद्ध संस्थित विभागीय जाँच प्रकरण को नस्तीबद्ध करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
(केमेन्टीना लकड़ा)
अवर सचिव छत्तीसगढ शासन सामान्य प्रशासन विभाग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. इसके अलावा एफआईआर के अवलोकन से पता चलता है कि वर्तमान आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था और बाद में उसका नाम जोड़ा गया है और यहां तक कि सभी साक्षीयों तथा दस्तावेजों के बयानों में भी वर्तमान आवेदक के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

35. उपर्युक्त विश्लेषण के मद्देनजर, राजस्व अधिकारी की क्षमता में एक पुरस्कार पारित करने के लिए आवेदक के विरुद्ध दाण्डिक प्रकरण शुरू करना अपराध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसका कृत्य अधिनियम, 1985 की धारा 2 और 3 में निहित प्रावधानों द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है और पूरे आरोप पत्र में वर्तमान आवेदक के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, आवेदक के विरुद्ध कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, एफआईआर में उसके नाम का कोई उल्लेख नहीं है और साथ ही दण्ड–प्रक्रिया–संहिता कि धारा 161 के तहत में साक्षीयो के बयान में वर्तमान आवेदक के खिलाफ कुछ भी गवाही नहीं दी गई है, इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 13/01/2016 को विद्वान जेएमएफसी, रायगढ़, सी.जी. द्वारा पारित आरोप निर्धारित किए गए हैं। और दाण्डिक प्रकरण संख्या 1128/2014 में भा.दं. सं. की धारा 420, 467, 468, 471 सहपठित धारा 120 बी, 34, 506 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दिनांक 02/12/2024 को आक्षेपित आरोप को याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनिवार्य रूप से अपास्त किया जाता है और याचिकाकर्ता को उपरोक्त आरोपों से मुक्त किया जाता है।

36. तदनुसार, वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाता है।

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य*

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur